<u>.न्यायालयः— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः</u> 134 / 10 <u>संस्थापन दिनांक—</u>29 / 7 / 2010

रघुराज सिंह पुत्र हरचरन सिंह, 22 साल निवासी ग्राम सरसपुरा थाना बिजौली परगना व जिला ग्वालियर

——पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक / निगरानीकर्ता

वि रू द्ध

- 1- कलेक्टर महोदय, भिण्ड
- 2- बैजनाथ सिंह
- 3- रूप सिंह पुत्रगण तखतसिंह
- 4- निरंजन सिंह पुत्र रूपसिंह
- 5— अशोक पुत्र साहब सिंह, निवासीगण ग्राम सरसपुरा थाना बिजौली, परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.

.....प्रितपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदकगण

न्यायालय—श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के परिवाद क्रमांक— / 08 रघुराज सिंह विरूद्ध बैजनाथ सिंह आदि में पारित आदेश दि. 03 / 06 / 2010 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

<u>—::— आ दे श —::—</u>

(आज दिनांक 08, अक्टूबर 2014 को पारित किया गया)

- 1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—397 एवं 398 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय श्री सुशील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के परिवाद प्रकरण कमांक—/08 ई.फौ. रघुराज सिंह विरुद्ध बैजनाथसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 30/6/10 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें याचिकाकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र धारा—203 द.प्र.सं. के तहत निरस्त किया गया ।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्राइवेट परिवादपत्र संबंधी मूल प्रकरण का विनिष्टीकरण हो चुका है और पुर्निनर्माण की सामग्री उपलब्ध नहीं है।

- 3. पुनरीक्षणकर्ता / याचिकाकर्ता / निगरानीकर्ता के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये हैं कि जहां एक बार अपराध पंजीबद्ध थाना गोहद द्वारा कर लिया गया हो तो उसकी विवेचना में बचाव पक्ष की तरह अभिलेख एवं साक्ष्य एकत्रित की गयी है, जो विवेचना के विपरीत है । पंजीयन के समय प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद लंवित होने को एक साथ लेकर विवेधित करते हुए आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है । सिविल न्यायालय द्वारा सर्वे क्रमांक—458 रकवा 0.84 बांके मौजा आलौरी पर परिवादी का कब्जा प्रथम दृष्ट्या माना है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध ना करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। परिवादपत्र प्रथम दृष्ट्या सिद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादपत्र खारिज करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है । निरस्त किया जावे ।
- 4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणयाचिका के अनुरूप ही तर्क किए हैं ।
- 5. विचारणीय यह है कि-
- "क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित
 30 / 06 / 2010 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?"
- 2. क्या, पुनरीक्षणकर्ता का परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिये जाने योग्य है ?

-::- निष्कर्ष के आधार -::-

विचारणीय प्रश्न कमांक- 1 व 2 का निराकरण

- 6. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का

अवलोकन किया गया।

- चूंकि मूल प्रकरण विनिष्टीकृत हो चुका है । ऐसे में मूल प्रकरण का पुर्निनर्माण ना मौखिक कथन के आधार पर आलोच्य आदेश जो पारित हुआ था, उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, और परिवाद का निरस्त हो जाना पूर्णतः विधि संम्बत माना जावेगा ।
- 10. ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर यदि विचार करें तो पुनरीक्षण याचिका में जो आधार लिये गये हैं, उनका कोई विधिक मूल्य नहीं है, इसलिये ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि या भूल नहीं पायी जाती है तथा आलोच्य आदेश अवैधानिक, अनुचित या औचित्यहीन ऐसी स्थिति में नहीं पाया जाता है।
- 11. फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। दिनांक 08/10/2014 आदेश मेरे बोलने पर टंकित आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)